

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत श्री अरविंद कुमार पिता- श्री राजु साव, श्रीमती ललिता देवी पति- छोटू साव ग्राम: बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 49, ग्राम: बिंगलात, (रैयती भूमि) खाता सं० 30 ; के अधीन प्लॉटसं०- 277, 278, 280, 455, 456, 561, 570, 571, 671, 712; खाता सं० 6 के अधीन प्लॉटसं०- 13, 39, 41, 95; कुल रकबा: -4 .00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiempl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (आम्रपालि- चंद्रगुप्त), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

Akm  
19/09/2023